

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

208/2023



1. जसवंत पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।

बनाम

1. दौलतराम पुत्र सदाराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
3. चन्द्रावती पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
4. सरस्वती पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान  
कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री विनोद पुनियां वादी  
श्री उम्मेद मोठसरां प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 30/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 3 के0आर0पी के खाता सं0 75/59 के मु0 न0 21 के किला न0 4 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 5/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228 है0 नहरी, किल न0 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 7 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 14 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 15/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 15/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 16/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 17 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 24 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 25/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, मु0 न0 26 के किला न0 5/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 15/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 15/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, मु0 न0 27 के किला न0 1, 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, किला न0 8 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0 न0 57 के किला न0 16, 17 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, किला न0 24 की 0.253 है0 नहरी कुल रकबा 6.5780 है0 जिसमें से 6.3780 है0 नहरी, 0.200 है0 गै0 मु0 खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)


करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी  
है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब  
किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने आपसी सहमती  
से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहरा वकील वादी ने निवेदन  
किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः  
मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण  
ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही  
मौजा चक 3 के०आर०पी के खाता सं० 75/59 के मु० न० 21 के किला न० 4 की 0.253है०  
नहरी, किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला  
न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किल न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7 की 0.  
253है० नहरी, किला न० 14 की 0.253है० नहरी, किला न० 15/1 की 0.228है० नहरी, किला न०  
15/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 16/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 16/2  
की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 17 की 0.253है० नहरी, किला न० 24 की 0.253है०  
नहरी, किला न० 25/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु०  
न० 26 के किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला,  
किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न०  
15/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 15/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 27 के किला  
न० 1, 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 8 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है०  
नहरी, मु० न० 57 के किला न० 16, 17 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 24 की 0.  
253है० नहरी कुल रकबा 6.5780है० जिसमें से 6.3780है० नहरी, 0.200है० गै० मु० खाला  
खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने  
हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के  
साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी  
सं० 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं०  
3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर  
लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के  
कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है  
कि रोही मौजा चक 3 के०आर०पी के खाता सं० 75/59 के मु० न० 21 के किला न० 4 की 0.  
253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला,  
किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किल न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7  
की 0.253है० नहरी, किला न० 14 की 0.253है० नहरी, किला न० 15/1 की 0.228है० नहरी,  
किला न० 15/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 16/1 की 0.228है० नहरी, किला न०

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),  
पट्टम (जिला-हनुमानगढ़)

की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 17 की 0.253 है 0 नहरी, किला न 0 24 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 25/1 की 0.228 है 0 नहरी, किला न 0 25/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 26 के किला न 0 5/1 की 0.228 है 0 नहरी, किला न 0 5/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 6/1 की 0.228 है 0 नहरी, किला न 0 6/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 15/1 की 0.228 है 0 नहरी, किला न 0 15/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, मु 0 न 0 27 के किला न 0 1, 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253 है 0 नहरी, किला न 0 8 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 है 0 नहरी, मु 0 न 0 57 के किला न 0 16, 17 प्रत्येक किला की 0.253 है 0 नहरी, किला न 0 24 की 0.253 है 0 नहरी कुल रकबा 6.5780 है 0 जिसमें से 6.3780 है 0 नहरी, 0.200 है 0 गै 0 मु 0 खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं 0 1 दौलतराम अकेले के बजाए वादी जसवन्त व प्रतिवादी सं 0 1 दौलतराम व 2 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(कल्पित शिवराज)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
मादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

राजस्थान उपाखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस  
10-10 - 208 / 2023

अनुदान :-

1. जसवंत पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।

बनाम	वादी
1. दौलतराम पुत्र सदाराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।	
2. सुभाषचन्द्र पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।	
3. चन्द्रवती पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।	
4. सरस्वती पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।	
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।	

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपाखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पुनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री उमोद मोदसरां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 के0आर0पी के खाला सं0 75/59 के मु0 न0 21 के किला न0 4 की 0.253है0 नहरी, किला न0 5/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228है0 नहरी, किल न0 6/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 7 की 0.253है0 नहरी, किला न0 14 की 0.253है0 नहरी, किला न0 15/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 15/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 16/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 16/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 17 की 0.253है0 नहरी, किला न0 24 की 0.253है0 नहरी, किला न0 25/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 25/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, मु0 न0 26 के किला न0 5/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 6/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 15/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 15/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, मु0 न0 27 के किला न0 1, 2, 3 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 8 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 57 के किला न0 16, 17 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 24 की 0.253है0 नहरी कूल रकबा 6.5780है0 जिसमें से 6.3780है0 नहरी, 0.200है0 गै0 मु0 खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम अकेले के बजाए वादी जसवंत व प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम व 2 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पत्रा डिक््री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



(कल्पित शिवरान)  
उपाखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S  
समूहानुसारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़